

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री नाथूलाल कुम्हार व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरका-सलूमबर, जिला उदयपुर, जिनकी जन्मतिथि 05.07.1962 है, का निधन दिनांक 17.02.2018 को होने व मृत्यु प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय अमदावाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अमदावाद, गुजरात से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री नाथूलाल कुम्हार व्याख्याता राजनीति विज्ञान की सेवाएं दिनांक 17.02.2018 से समाप्त की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री नाथूलाल कुम्हार व्याख्याता राजनीति विज्ञान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरका, जिला उदयपुर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1985 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1985 के नियम - 17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज.विज्ञान/सेवासमाप्ति/2017

दिनांक 27/04/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग -----
3. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा-II उदयपुर
5. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खरका, डुंगरपुर
6. संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री नाथूलाल कुम्हार
7. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आदेश

श्रीमती कमला डामोर, व्याख्याता (इतिहास) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रैयाना-बांसवाड़ा जन्मतिथि 13.07.1962 का निधन दिनांक- 04.04.2018 को हो चुका है। अतः श्रीमती कमला डामोर, व्याख्याता (इतिहास) की सेवाएं दिनांक 04.04.2018 से समाप्त की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

दिनांक-26.04.18

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/16-17

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- 2 सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बांसवाड़ा
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा उदयपुर
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा बांसवाड़ा
- 5 संबधित संस्था प्रधान को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावे।
- 6 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आदेश

श्री सुखराम खींचड़, व्याख्याता (इतिहास) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिटड़ा खुर्द -बाड़मेर जन्मतिथि 09.12.1958 का, निधन दिनांक- 10.02.2018 को हो चुका है। अतः श्री सुखराम खींचड़, व्याख्याता (इतिहास) की सेवाएं दिनांक 10.02.2018 से समाप्त की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/16-17

दिनांक-27.04.18

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- 2 सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बाड़मेर
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा जोधपुर
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर
- 5 संबंधित संस्था प्रधान को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावें।
- 6 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर